राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

अपील प्र.क्रं. अपी. 2382-एक/15 जिला छतरपुर

3-8-15

यह अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 72/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.4.2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ अपील की ग्राह्यता पर अपीलार्थी के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ अपीलार्थी के अभिभाषक ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर ने अंतरिम आदेश दिनांक 17.9.14 से म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(2) के अंर्गत अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की थी, जिसके विरूद्व संहिता की धारा 35(3) का आवेदन देकर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने की प्रार्थना की गई , किंतु अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने अपीलांट व्दारा प्रस्तुत संहिता की धारा 35(3) का आवेदन निरस्त करने में भूल की है। संहिता में विहित प्रावधानानुसार यह अपील प्रस्तुत है जो ग्राह्य की जावे।

4/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (4) में व्यवस्था दी गई है कि जहॉ उपधारा 35(3) का आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है वहां व्यथित पक्षकार उस प्राधिकारी को अपील फायल कर सकेगा, जिसको कि ऐसे अधिकारी व्दारा पारित किये गये मूल आदेश के विरूद्व अपील होती हो। स्पष्ट है कि धारा 35(3) का आवेदन नामंजूर करने वाला आदेश न्यायालय का मूल आदेश है , जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व प्रथम अपील उसी न्यायालय में होगी, जहां अनुविभागीय अधिकारी के मूल आदेश की अपील होती है - सीधे राजस्व मण्डल में नहीं ।

5/ अतः विचाराधीन अपील गुणदोष पर निर्णय लिये बिना इस निर्देश के साथ निराकृत की जाती है कि अपीलांट इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करे।

सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील 2382-I-15

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

बल्दू पुत्र श्री मोती पटेल
निवासी–ओंटापूरवा तहसील राजनगर
जिला–छतरपुर (म.प्र.)
.........अपीलार्थी

विरुद्ध

1– कल्ला पुत्र श्री खरया वसोर
2– किलकोटा पुत्र श्री दसइयां पटेल
निवासीगण–ओंटापूरवा तहसील राजनगर
जिला–छतरपुर (म.प्र.)
3– मध्यप्रदेश शासन
...........प्रत्यर्थीगण

द्वारा ... 27.7.15 को प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 72/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.04.2015 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, प्रत्यर्थी क्रमांक कल्ला वसोर द्वारा नायब तहसीलदार वसारी के आदेश दिनांक 20.08.2002 के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी राजनगर को इस आधार प्रस्तुत की गयी थीं। कि खसरा नं. 36 ग्राम ओटापुरवां में स्थित भूमि उनकी पैत्रिक एवं कब्जे की भूमि है। जिसका पट्‌टा उन्हे प्राप्त हुआ था किन्तु वह मजदूरी करने बाहर चला गया था जब वापिस आया तो उसने अपनी भूमि के बारे मे पता किया तो पटवारी ने बताया कि उपरोक्त भूमि का विनिमय खसरा नं. 45 से करवा लिया गया है और यदि वह भूमि वापिस करना चाहता है तो वह तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2002 की अपील प्रस्तुत करें। इसी जानकारी के आधार पर उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थीं।

2– यहकि, उक्त अपील में अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हो गये थे और प्रकरण प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की तलबी हेतु नियत कर दिया गया था। किन्तु प्रकरण में प्रत्यर्थी क्रमाक 2 की तलवी नहीं हुयी थीं। और दिनांक 17.09.2014 को अपीलार्थी के अभिभाषक की अनुपस्थिति के आधार पर प्रकरण में उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गयी जिसके संबंध में उनके द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने के संबंध में पर्याप्त ... न्यायालय द्वारा उनपर विचार